न्यायालय–प्रथम सिविल जज(अवर खण्ड)./जे.एम. बुलन्दशहर।

दाण्डिक वाद सं. 01 सन् 17

राज्य –– प्रति – किशन पाल सिंह

धारा– 279, 304ए, 427 भा.दं.सं.

थाना–सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त किशन पाल सिंह न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से अपराध संस्वीकृति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.10.2007 को समय 13.45 बजे रोडवेज बस संख्या– यू.पी. 14ए ई 9024 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा मौ. यामीन की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करना जिससे वादी मुकदमा को गम्भीर चोटों का आना एवं टक्कर लगने से आरिफ की मृत्यु होना स्वेच्छया से स्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा– 279, 304ए, एवं 427 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त का कथन है कि वह ड्राईवर है। वह घर में कमाने वाला अकेला है। भविष्य में वह कोई अपराध कारित नही करेगा, उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन पक्ष की ओर से नियमानुसार दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

मामलें के तथ्यों, परिस्थितियेां को देखते हुये अभियुक्त किशनपाल सिंह को धारा–279 भा.दं.सं. के तहत मु. 500/–रूपये, धारा–304ए भा.द ं. सं. के तहत 600/–रूपये एवं धारा– 427 भा.दं.सं. के तहत 400/–रूपये कुल मु0 1500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त किशन पाल को धारा–279, 304ए, व 427 भा.दं.सं. से सम्बन्धित प्रकरण में अपराध संस्वीकृति के आधार पर दोषी पाते हुये अभियुक्त को धारा–279 भा.दं.सं. के तहत मु. 500/–रूपये, धारा–304ए भा.दं.सं. के तहत 600/–रूपये एवं धारा– 427 भा.दं.सं. के तहत 400/–रूपये कुल मु0 1500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

दिनांकः24.06.2017

(प्रबोध कुमार)

प्रथम सिविल जज(अवर खण्ड)./जे.एम.

बुलन्दशहर।